न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 351/2025

अश्वनी कुमार पुत्र किशन लाल जाति माहेश्वरी निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

-:वादी

बनाम्

1 अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति माहेश्वरी निवासी श्रीगंगानगर तहसील श्री गंगानगर

2 अभय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति माहेश्वरी निवासी श्रीगंगानगर तहसील श्री गंगानगर

3 अरविन्द कुमार पुत्र श्री किशन लाल जाति माहेश्वरी निवासी श्रीगंगानगर तहसील श्री गंगानगर

4 गोविन्द प्रसाद(फौत)

4/1 आनन्द कुमार मालपानी पुत्र स्व. गोविन्द प्रसाद जाति माहेश्वरी निवासी श्रीगंगानगर

4/2 निरंजन कुमार मालपानी पुत्र स्व. गोविन्द प्रसाद जाति माहेश्वरी निवासी श्रीगंगानगर

4/3 श्वेता माहेश्वरी पुत्री स्व. गोविन्द प्रसाद जाति माहेश्वरी निवासी श्रीगंगानगर

5 दिनेश कुमार पुत्र श्री सूरजमल जाति माहेश्वरी निवासी हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6 रतन लाल (फौत)

6/1 पवन कुमार मालपानी पुत्र स्व. रतन लाल पुत्र सूरजमल मालपानी अकवाम माहेश्वरी दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ टाउन

6/2 सुधा करवा पुत्र स्व. रतन लाल पुत्र सूरजमल मालपानी अकवाम माहेश्वरी दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ टाउन

6/3 मनोज कुमार मालपानी पुत्र स्व. रतन लाल पुत्र सूरजमल मालपानी अकवाम माहेश्वरी दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ टाउन

6/4 पारस कुमार मालपानी पुत्र स्व. रतन लाल पुत्र सूरजमल मालपानी अकवाम माहेश्वरी दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ टाउन

7 गुरलाल सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8 गुलाब सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री मनोज अरोड़ा - अधिवक्ता वादी
2. श्री कुणाल छाबड़ा - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 4/1 ता 4/3, 5, 6/1 ता 6/4, 7, 8
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 9

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

-:निर्णयः-

दिनांक 14:11:25

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से सांझा खाता मे तहसील हनुमानगढ़ मे निम्नलिखित कृषि भूमि दर्ज है। जिसकी तफसील निम्न है:- चक 50 एनजीसी खाता सं. 74149 प.न. 128/252 (28) कि.न. 18/.253, 23/1/.126 कुल 0.379 है. चक 50 एनजीसी खाता सं. 72/148 प.न. 127/254 (46) कि.न. 7, 8, 9, 10 प.न. 129/252 (29) कि.न. 19 कुल 1.265 हैक्टेयर। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की चरण सं 2 मे वर्णित आराजी चक 50 एनजीसी के खाता सं. 74/149 मे दर्ज तादादी 0.379 हैक्टर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं 1 ता 6 के नाम दर्ज है। जिसमे वादी के नाम 0.384 हिस्सा, प्रतिवादी सं 1 के नाम 0.085 हिस्सा, प्रतिवादी सं 2 के नाम 0.043 हिस्सा, प्रतिवादी सं 3 के नाम 0.384 हिस्सा, प्रतिवादी सं-4 के नाम 620/147 हिस्सा, प्रतिवादी सं- 5 के नाम 620/147 हिस्सा व प्रतिवादी सं-6 के नाम 620/147 हिस्सा दर्ज है।

यह कि चक 50 एनजीसी के खाता सं. 72/148 मे दर्ज तादादी 1.265 हैक्टर नाली प्रथम मे वादी के नाम 0.126 हिस्सा, प्रतिवादी सं-1 के नाम 0.028 हिस्सा, प्रतिवादी सं-2 के नाम 0.014 हिस्सा, प्रतिवादी सं-3 के नाम 0.126 हिस्सा, प्रतिवादी सं-4 के नाम 0.071 हिस्सा,प्रतिवादी सं-5 के नाम 0.071 हिस्सा, प्रतिवादी सं-6 के नाम 0.070 हिस्सा, प्रतिवादी सं-7 के नाम 0.506 हिस्सा व प्रतिवादी सं-8 के नाम 0.506 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे हिस्सा विवादित दर्ज है।

यह कि वादी व प्रतिवादी सं-3 आपस मे सगे भाई है। प्रतिवादी सं-1 व 2 आपस मे सगे भाई है। प्रतिवादी सं- 4, 5, 6 आपस मे सगे भाई है तथा प्रतिवादी सं- 7 व 8 आपस मे सगे भाई है। वादी व प्रतिवादीगण सं- 1 ता 6 स्व. किशन लाल पुत्र श्री रामचन्द्र व सूरजमल पुत्र सागर मल के वारिसान है। गत जमाबंदियो से लगातार किशन लाल पुत्र श्री रामचन्द्र का 58 प्रतिशत हिस्सा, व सूरजमल पुत्र श्री सागरमल का 42 प्रतिशत हिस्सा राजस्व रिकाई मे दर्ज है। वाद पत्र की चरण सं-2 मे दर्ज आराजी वादी व प्रतिवादीगण सं- 1 ता 6 को अपने पूर्वजो से विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमे वादी व प्रतिवादीगण के परिवार के अन्य सदस्यो द्वारा जरिये दस्तवरदारी त्याग किया हुआ है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे करते समय तथा अर्सा पूर्व हुए राजस्व रिकार्ड के ऑनलाईन मे खातेदारो का हिस्सा गलत दर्ज होने से खाता अपवादित हो गया है, जबकि वादी व प्रतिवादीगण का उपरोक्त आराजी मे निम्नलिखित हिस्सा है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करवाना चाहते है :-

क- चक न.	प.न.	कि.न.	तादादी
50 एनजीसी	128/252(28)	18/.253, 23/1/.126	0.379 है.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

74/149

उपरोक्त खाता मे वादी का 73/379 हिस्सा, प्रतिवादी सं-1 का 49/379 हिस्सा, प्रतिवादी सं-2 का 25/379 हिस्सा, प्रतिवादी सं-3 का 73/379 हिस्सा, प्रतिवादी सं-4 का 53/379 हिस्सा, प्रतिवादी सं-5 का 53/379 हिस्सा, प्रतिवादी सं-6 का 53/379 हिस्सा कब्जाकाश्त मे है।

ख- चक न.	प.न.	कि.न.	तादादी
50 एनजीसी	127/254 (46)	7, 8, 9, 10	
72/148	129/252(29)	19	1.265 हैक्टेयर।

उपरोक्त खाता मे वादी का 49/1265 हिस्सा, प्रतिवादी सं-1 का 33/1265 हिस्सा, प्रतिवादी सं- 2 का 16/1265 हिस्सा, प्रतिवादी सं-3 का 49/1265 हिस्सा, प्रतिवादी सं-4 का 106/3795 हिस्सा, प्रतिवादी सं-5 का 106/3795 हिस्सा, प्रतिवादी सं- 6 का 106/3795 हिस्सा, प्रतिवादी सं-7 का 506/1265 हिस्सा, प्रतिवादी सं-8 का 506/1265 हिस्सा कब्जाकाश्त मे है।

यह कि अर्सा पूर्व वादी व प्रतिवादीगण सं- 1 ता 8 के मध्य चक न. 50 एनजीसी के खाता सं. 72/148 मे दर्ज कुल तादादी 1.265 हैक्टर का खाता विभाजन हुआ जिसमे वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 को 0.253 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं- 7 व 8 को 1.012 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई जो निम्न है:-

क- वादी व प्रतिवादीगण सं- 1 ता 6 को बंटवारा मे प्राप्त आराजी :-

चक न.	पं.न.	कि.न.	तादादी
50 एनजीसी 72/148	129/252 (29)	19	0.253 है.

ख- प्रतिवादी सं 7 को घरू बंटवारा मे प्राप्त आराजी :-

चक	पं.न.	कि.न.	तादादी
50 एनजीसी 72/148	127/254 (46)	9, 10	0.506 है.

ग- प्रतिवादी सं 8 को घरू बंटवारा मे प्राप्त आराजी :-

चक न.	पं.न.	कि.न.	तादादी
50 एन जी सी 72/148	127/254 (46)	7, 8	0506 है.

यह कि वाद पत्र की चरणानुसार वादी प्रतिवादीगण आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे खाता अपवादित दर्ज होने से वादी अपने नाम से वाद पत्र की चरण सं 2 मे वर्णित आराजी का चरण सं-5 के मुताबिक चक न. 50 एनजीसी पटवार हल्का सतीपुरा के खाता सं. 74/149 की कुल तादादी 0.379 हैक्टर मे 73/379 हिस्सा व इसी चक के खाता सं. 72/148 पं.न. 129/252 मु.न. 29 कि.न. 19 मे 49/1265 हिस्सा का खातेदार है।

यह कि वादी उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम करवाने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर व उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

फ़ैसला | क | ख

घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.25 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ